

85 84

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2287-पीबीआर/2016 विरुद्ध आदेश दिनांक 17-5-2016 पारित  
द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 03/स्वमेव निगरानी/2012-13

- 1-छोटे लाल पुत्र हर विलास
- 2-श्रीमती पार्वती पुत्री/पत्नी लालाराम
- 3-गोपाल पुत्र मुल्ला
- 4-कमलसिंह पुत्र मुल्ला
- 5-परमा पुत्र खल्लू
- 6-सुरेश पुत्र लालाराम
- 7-राकेश पुत्र लालाराम
- 8-रणवीर पुत्र मातादीन
- 9-दिनेश पुत्र सरमना जाटव
- 10-मनोरमा पुत्र रामचरण
- 11-छविराम पुत्र गोविन्दी
- 12-नरोत्तम पुत्र रामचरण
- 13-सुरेश पुत्र प्रेमसिंह
- 14-कोमल पुत्र गोविन्द सिंह

समस्त निवासीगण ग्राम बीजकपुर तहसील डबरा  
जिला ग्वालियर.


.....आवेदकगण

### विरुद्ध

- 1-मध्यप्रदेश शासन
- 2-गंगाराम पुत्र ग्यासिया
- 3-हर विलास पुत्र रतुआ
- 4-कैलाश पुत्र लालाराम
- 5-कामता प्रसाद पुत्र रामचरण
- 6-रामसिंह पुत्र रामचरण
- 7-लाखन सिंह पुत्र रामचरण

समस्त निवासीगण ग्राम बीजकपुर तहसील छवरा जिला ग्वालियर.

.....अनावेदकगण





श्री एन0डी0शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण  
 श्री विवेक मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1  
 श्री पवन सोनी, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 7

## :: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/9/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-05-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता ग्राम बीजकपुर के निवासियों द्वारा शिकायत की गई जिसके आधार पर कलेक्टर के पूर्व अधिकारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी डबरा से जाँच कराई जाकर चरनोई भूमि का बंटन किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिये जाने की अनुशंसा सहित कलेक्टर न्यायालय को भेजा गया। तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी डबरा के जाँच प्रतिवेदन को आधार मानकर बंटन प्रकरण क्रमांक 22/2002-03/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 28-7-2003 को कलेक्टर न्यायालय द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया जाकर पट्टा ग्रहिता को दिनांक 16-10-2012 को कारण बताओं नोटिस जारी किये गये। कलेक्टर द्वारा कार्यवाही की जाकर दिनांक 17-5-2016 को आदेश पारित कर तहसीलदार द्वारा आवंटन हेतु सम्पूर्ण रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने व विधिक प्रक्रिया का पालन न किये बिना पटवारी से दिनांक 26-7-2003 को प्राप्त सूची पर आनन फानन में मात्र दो दिवस में अपात्र व्यक्तियों को पट्टा दिये जाने का आदेश दिनांक 28-7-2003 पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि वह राजस्व अभिलेख में दिनांक 28-7-2003 के पूर्व की स्थिति दर्ज कर खसरे की प्रति प्रस्तुत करें। कलेक्टर के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) भूमि सर्वे क्रमांक 759, 847, 991, 992, 1010, 1011, 1333, 1339, 1353, 1354, 1355, 1360 रकबा 45.770 हेक्टेयर ग्राम बीजकपुर के संबंध में अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

क्रमांक 1873/2002-03/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 17-7-2003 द्वारा उक्त भूमि बीहड की थी जिस का उल्लेख पटवारी द्वारा बंटन सूची बनाते समय बंटन सूची में किया गया। किन्तु कलेक्टर द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर मूल प्रकरण तहसील न्यायालय द्वारा गुम कर दिया गया। अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के सत्यापन स्वरूप हम आवेदकगणों द्वारा दायरा पंजी न्यायालय नायब तहसीलदार डबरा प्रस्तुत की गई जिसमें ग्राम बीजकपुर की बीहड भूमि घोषित करने हेतु प्रकरण क्रमांक 1873/2002-03/बी-121 का उल्लेख है साथ ही खसरा वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक ग्राम बीजकपुर प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम बीजकपुर की बीहड भूमि अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 17-7-03 से चरनोई से बीहडभूमि घोषित किये जाने हेतु आदेश का अमल किया गया। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा 2002 के पूर्व के खसरे प्रस्तुत कर कलेक्टर को गलत शिकायत की कि चरनोई भूमि का बंटन किया गया जबकि वास्तव में अपर कलेक्टर का आदेश 17-7-2003 को किया गया था, तब वर्ष 2002 में उक्त भूमि चरनोई रहना स्वाभाविक है, किन्तु कलेक्टर द्वारा प्रकरण की मूल परिस्थितियों पर विचार न करते हुये शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत को ही आधार मानकर बंटन निरस्त किया गया है, जो कि अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) कलेक्टर द्वारा मृत व्यक्तियों के वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया ऐसी स्थिति में उक्त आदेश मृत व्यक्तियों के विरुद्ध पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(3) कलेक्टर द्वारा अपने आदेशमें यह तथ्य कि पट्टाधारियों के पास भूमि थी महज कल्पना पर आधारित है कलेक्टर को स्पष्ट लिखना चाहिये था कि किस व्यक्ति के पास पूर्व में कितनी भूमि थी। यह तथ्य केवल काल्पनिक है जबकि वास्तविकता यह है कि किसी भी पट्टाग्रहिता के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं है।

(4) पटवारी द्वारा प्रकरण में जो बंटन सूची लगाई गई है उसमें स्पष्ट तौर पर चरनोई के सर्वे नम्बरान को बीहड भूमि में परिवर्तित किये जाने जाने का उल्लेख किया गया है किन्तु कलेक्टर द्वारा पटवारी द्वारा प्रस्तुत उक्त सूची पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

(5) स्वमेव निगरानी में प्रकरण लिये जाने हेतु 180 दिन का समय निर्धारित किया गया है किन्तु कलेक्टर द्वारा वर्ष 2003 में दिये गये आदेश को लगभग 10 साल बाद नाथूराम की शिकायत पर पंजीबद्ध किया है जो कि स्पष्ट तौर पर अवधि बाह्य होने से स्वमेव निगरानी प्रचलन योग्य नहीं थी।




(6) आवेदकगणों द्वारा उक्त बीहड भूमि को समतल कर कास्त योग्य बनाया गया है। उक्त भूमि के अलावा आवेदकगणों के पास अन्य कोई भूमि नहीं है और ना ही आजिविका का अन्य को साधन है इस बिन्दु पर भी कलेक्टर द्वारा कोई विचार नहीं किया गया।

अंत में आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-5-2016 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार द्वारा किया गया बंटन आदेश यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 शासन व अनावेदक क्रमांक 7 के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय द्वारा स्वमेव निगरानी में पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 6 प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना तथा पात्र-अपात्र व्यक्तियों की जाँच किये बिना बीजकपुर के स्वर्ण जाति के व्यक्ति ग्राम भैंसनारी के व्यक्ति एवं अज्ञात व्यक्तियों के नाम से तथा कुछ व्यक्तियों के नाम से पूर्व में भूमि होने पर भी पट्टा जारी करने का आदेश दिया गया है, जिसमें तहसीलदार द्वारा अपात्र व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया गया है। तहसीलदार द्वारा आवंटन हेतु विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना पट्टा से प्राप्त सूची की जाँच किये बिना अपात्र व्यक्तियों को बंटन किया गया था, अतः कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश 28-7-2003 निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है इसलिये कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में पारित वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-05-2016 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।



  
(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश  
ग्वालियर